उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:- 28.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में "मिशन शक्ति अभियान फेज-5" के अन्तर्गत आज दिनांक- 28.12.2025 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

"मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, स्कूलों/कॉलेजों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 28.12.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 28.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

24 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण...।

अपने ही पिता की हत्या करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त को थाना चरखारी की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल बरामद...।

दिनांक 27.12.2025 को थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुढ़ा में गाँव के बाहर स्थित बगीचे में बने एक कमरे में एक व्यक्ति के मृत पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना चरखारी पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम एवं उच्चाधिकारीगणों के साथ तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर प्रारम्भिक तथ्यों के आधार पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 279/2025, धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त घटित घटना का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा घटना का सफल अनावरण किए जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर घटना में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।

गठित पुलिस टीम द्वारा विभिन्न साक्ष्यों का संकलन एवं गवाहों/बयानों के आधार पर हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त भागवली राजपूत पुत्र लालदिमान उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा को मय आलाकत्ल (आधी ईट का टुकड़ा) के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रचलित कर जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसे यह आशंका थी कि उसके बड़े भाई हरनारायण द्वारा पिता जी को अपने वश में कर लिया गया है तथा वह पिता जी की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम कराने की योजना बना रहा है। उक्त कारणों से अभियुक्त अत्यधिक मानसिक दबाव में आ गया तथा आजिज आकर उसने पिता जी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और अपने पिता की हत्या की घटना को कारित किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

भागवली राजपूत पुत्र लालदिमान उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. उ0नि0 संजय सिह
3. हे0कां0 दिनेश सिह
4. कां0 महेश कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 28.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफ़र अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-28.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह द्वारा गठित उ0नि0 गौरव चौबे मय उ0नि0 अभिनव सिंह मय हमराह हे0कां0 संदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अजय सिंह उर्फ निक्की सिंह पुत्र बाबू सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम उंटिया थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये ग्राम उटियां थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 352/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अजय सिंह उर्फ निक्की सिंह पुत्र बाबू सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम उंटिया थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 गौरव चौबे
2. उ0नि0 अभिनव सिंह
3. हे0कां0 संदीप कुमार

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

@MahobaPolice

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 28.12.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने मुकदमें में वांछित अभियुक्त को अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक-28.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा गठित उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह व उ0नि0 सत्यम मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 625/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(2)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त यासिन पठान उर्फ यासीन घोडा पुत्र स्व0 लाला सफत उम्र 23 वर्ष निवासी बिच्छु पहाडिया थाना कोतवाली नगर महोबा को सांई कालेज के पास छोटी पहाडी थाना कोतवाली नगर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

यासिन पठान उर्फ यासीन घोडा पुत्र स्व0 लाला सफत उम्र 23 वर्ष निवासी बिच्छु पहाडिया थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 सत्यम मिश्रा
3. कां0 नरेन्द्र कुमार
4. कां0 शिवनारायण

बरामदगी

अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस नाजायज बरामद होना।